ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

मूल्य रुपये 500/-

2025–26 में दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु मार्गो की सूची

क्र.	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी (कि. मी.)	अनुमानित दुग्ध संकलन लीटर प्रतिदिन	वाहन का प्रकार	प्रति कि.मी. / लीटर
A	**दुग्ध शीत केन्द्र शिवपुरी**				
1	पाडरखेडा–शिवपुरी	140	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
2	भडौता–ढकरौरा–शिवपुरी	140	800	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
B	**दुग्ध शीत केन्द्र कराहल**				
3	मोरावन–सेसईपुरा–कराहल	70	500	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
4	पनार–गोरस–कराहल	50	700	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
5	मेंहरवानी–सिलपुरी–कराहल	70	500	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
C	**आर.एम.आर.डी. बानमोर**				
6	लल्लूबसई–खडिया–बानमोर	140	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
7	इकहरा–बडागॉव–बानमोर	150	बंद	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
8	बीलपुर–खुर्द–बानमोर	135	बंद	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
9	पिपरई–हेतमपुर–बानमोर	80	550	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
10	बनीभगवानसिंह–बानमोर	25	500	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
11	खुटियानी बेहड–बानमोर	220	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
12	खरिका–अरूआ–रूनीपुर	160	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
13	रसोधना–जौनारा–बानमोर	160	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
14	सांईपुरा–खैराकला–बानमोर	240	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
D	**दुग्ध शीत केन्द्र दबोह**				
15	जौरी–दबोह मार्ग	70	1200	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
16	टोला–दबोह मार्ग	65	800	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
E	**दुग्ध शीत केन्द्र मेंहगॉव**				
17	परा–पावई–मेंहगॉव मार्ग	115	700	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
18	नयागॉव–मेंहगॉव मार्ग	120	600	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
19	एतहार–मेंहगॉव	40	1000	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
20	कचनाव–मेंहगॉव मार्ग	100	800	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
21	अमायन–मेंहगॉव मार्ग	120	600	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
22	चनेनी–मेंहगॉव मार्ग	80	500	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
F	**दुग्ध शीत केन्द्र डबरा**				
23	चिनोर–भिरवार मार्ग	120	700	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर
24	पिछोर–देवगढ मार्ग	105	600	महेन्द्र पिकअप	प्रति कि.मी. / लीटर

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा प्रस्तुत करने बावत् निर्देश एवं अन्य शर्तें

1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा विभिन्न मार्गो की दुग्ध समितियों में दुग्ध संकलन करके शीत केन्द्र/आरएमआरडी, बानमोर तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।

2) निविदा निधारित दिनॉक को दोपहर 2:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

3) EMD रूपये 10,000/– ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ ''लिफाफा A'' संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी । पूर्व में जमा की गयी किसी भी मद की राशि मान्य नहीं होगी।

4) निविदा प्रस्तुतकर्ता को भिन्न–भिन्न मार्गो के लिए पृथक–पृथक निविदायें प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक निविदा फार्म में एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत की जावेगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक मार्गो के लिए की गयी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी । एक वाहन के लिए एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी ।

5) निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन पूर्व अपना वाहन उपलब्ध करा सकेगें, वे निविदा भरने के पात्र होगें। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढौत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में EMD राजसात कर ली जावेगी। इस संबंध में निविदा प्रपत्र संलग्न है, जिसकी पूर्ति की जावे । निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकरारनामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा

6) **अ–**निविदा में दर्शायी गई दरों में गाडियों को चलाने संबंधी समस्त व्यय सम्मिलित होना चाहिये
ब–प्रत्येक मार्ग हेतु प्रतिकिलोमीटर/लीटर की दर उल्लेखित करना चाहिये ।

7) प्रत्येक मार्ग से लाने वाले दूध की अनुमानित मात्रा के आधार पर वाहन का प्रकार, दूरी मार्ग सम्बंधी विवरण संलग्न पत्रक में दर्शायी गयी है। ठेके की अवधि में किसी भी समय मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। निर्धारित मार्ग की दूरी तथा संकलन केन्द्र कम अथवा अधिक किये जा सकेगें। जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी बढ़ी दूरी के अनुपात में अधिक/कम भुगतान किया जावेगा ।

8) निविदा के अस्वीकृत होने पर EMD की पूरी रकम वापस लौटायी जायेगी। निविदा स्वीकार होने पर EMD ठेके के नियमों और शर्तो के अनुसार दी जाने वाली SD में समायोजित कर ली जावेगी।

9) निविदा सभी मार्ग तथा किसी भी एक मार्ग के लिए अस्वीकृत की जा सकती है ।

10) निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी विभिन्न सूचना/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।

11) किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार उक्त भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।

12) सभी निविदायें या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जावेगा।

13) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ ग्वालियर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/— का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

14) प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर दरें वर्तमान प्रचालित दर (माह सितम्बर, अक्टूबर 2025) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता वार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्रारंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी सहित) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताएॅ पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता नहीं कराई जावेगी ।

15) विगत अवधि में कार्यरत निविदाकर्ता वाहन ठेकेदार की सेवा एवं कार्य अभिलेखों के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर प्रस्तुत निविदा को अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को होगा भले ही निविदाकर्ता द्वारा निविदा की न्यूनतम दरें प्रस्तुत की गई हो ।

16) निविदा स्वीकृत होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर द्वारा दी गयी सूचना की अभिस्वीकृति लिखित में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अंदर ग्वालियर कार्यालय/शीतकेन्द्र कार्यालय में ठेकेदार को रूपये 10,000/— (दस हजार रूपये) अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के साथ जो संघ को नगद/ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर देनी होगी, अन्यथा वाहन ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी ।

17) निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर निविदाकार को मार्ग पर चलने वाले स्वयं के वाहन (पंजीयन,बीमा पालिसी एवं अन्य कागजात) सहित निर्धारित समय पर निरीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। संबधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संघ कार्यालय को जमा करना होगी ।

18) निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

19) प्रथमतः 01.01.2026 से 31.12.2028 हेतु अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध समाप्त होने के पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक –एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक बढाया जा सकता।

20) निविदाकार का स्वयं के नाम से आयकर का स्थाई खाता (पेन नम्बर) होना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति ''प्रपत्र 2'' के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पेन नम्बर न होने पर नियमानुसार आयकर कटोत्रा किया जावेगा ।

21)अ) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवावदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा ।

22) निविदा प्रस्तुत करते समय ''प्रपत्र 2'' में निविदाकार को वाहन माडल, वाहन नंबर उसकी हालत एवं क्षमता का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।

23) मुख्य कार्यपालन अधिकारीको यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा ।

24) सफल निविदाकार को रूपये 1000/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ से विधिवत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा ।

25) जिन संस्थाओं द्वारा सील्ड केन दी जावेगी, उसे उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आरएमआरडी बानमोर पहुॅचाना होगा। सील टूटी होने पर उसकी जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

26) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निविदा, निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जावेगी। दुग्ध परिवहन हेतु स्वीकृत दर दिनॉक 01.01.2026 से 31.12.28 तक प्रभावशील रहेगी ।

27) वर्ष 2022 तथा उसके बाद के वाहनों को वरीयता दी जावेगी । वर्ष 2020 के पूर्व के वाहनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

28) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगा।

29) स्वीकृत निविदाकार को स्वयं के व्यय से अनुबंधित वाहन पर जी.पी.एस. लगाया जाना अनिवार्य होगा, 15 दिवस में जी.पी.एस. न लगाये जाने पर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह वाहन पर जी.पी.एस. लगाकर लागत मूल्य की बसूली परिवहन कर्ता के दुग्ध देयकों से कर सकेगा।

30) स्वीकृत निविदाकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार पंजीयन/लायसेंस लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर
दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1–	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू.500/–(पॉचे सौ रूपये मात्र) नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2–	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	वाहन हेतु निविदा के साथ रू.10,000/–(दश हजार मात्र)डीडी/नगद जमा रसीद'' ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर ''पेयबलएट ग्वालियर के नाम देय हो।
3–	निविदा खोलने का स्थान	दुग्ध शीत केन्द्र ––––––
4–	धरोहर राशि (EMD)	'' लिफाफा ''A''
5–	दुग्ध परिवहन कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं''का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	लिफाफा ''B''
6–	भावपत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप	लिफाफा ''C''

<u>**निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि**</u> –

– धरोहर राशि (EMD) का डी.डी./नगद जमा रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें ,जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जावे।

– लिफाफा ''B'''तकनीकी अर्हतायें''

– लिफाफा ''C'' जिसमें भावपत्र/दरें संलग्न की जावें।

– उक्त तीनों ''A'', ''B'' एवं ''C'' के बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जमा करें। लिफाफे पर दुग्ध संकलन मार्ग का नाम जिस मार्ग के लिये निविदा प्रस्तुत की गई है,अंकित किया जावे। पहले **'तकनीकी अर्हतायें''** का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताऐं में सफल निविदाकर्ताओं का ही भावपत्र/दरें का लिफाफा खोला जावेगा।

– निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

नोट– सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का डी.डी./नगद की जमा रसीद भौतिक रूप से निविदा के साथ संलग्न करें ।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,ग्वालियर

लिफाफा–''**A**''

1– धरोहर राशि :–

- राशि (अंकों में) रूपये :———————————————————
- राशि (शब्दों में) रूपये :———————————————————
- रसीदक्रमॉक / ड्राफ्टक्रमॉक:एवंदिनांक———————————————

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम——————
मोबाइल नम्बर————

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,ग्वालियर

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी प्रपत्र

<u>तकनीकी अर्हतायें प्रपत्र–01</u>

लिफाफा–''**B**''

2– निविदाकार का विवरण :–

- निविदाकारकानाम/जिसके——————————————————
  नाम से वाहन पंजीकृत है।
- पिता का नाम :——————————————————
- स्थाईपता ——————————————————
- पत्र व्यवहार का पता :——————————————————
- दूरभाष कमॉक :——————————————————
- दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांकः– ——————————————————
- मार्ग का विवरण :– ——————————————————
- आयकर पान नम्बर ——————————————————

3– वाहन का विवरण

- वाहन का प्रकार ——————————————————
- वाहन का माडल वर्ष ——————————————————
- वाहन की क्षमता ——————————————————
- पंजीयन कमॉक ——————————————————
- बीमा कमॉक ——————————————————

नोट :– कमॉक 02 एवं 03 से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है, उसका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम——————
मोबाइल नम्बर————

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,ग्वालियर

लिफाफा–"C"

<u>प्रपत्र–03</u>

4– प्रस्तावित निविदा दर प्रति कि.मी./प्रति लीटर :–

- रूपये(अकों में) ––
- रूपयें(शब्दों में)––

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम–––––––––––––––

मोबाइल नम्बर––––––––

अनुबंध–पत्र

यह अनुबंध आज दिनॉक–––––––––––को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम (निविदाकार)श्री / श्रीमती–––––––––––––––––निवासी–––––––––––––––––––––एवं उत्तराधिकारी श्री / श्रीमती–––––––––––––––––––––––से है एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर द्वारा गठित सहकारी समितियों के संग्रह स्थल से दूध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी बानमोर / दुग्ध शीत केन्द–––––––––तक एवं आरएमआरडी बानमोर / दुग्ध शीत केन्द .... से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुँचाने हेतु परिवहन करने के वास्ते प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्र. –––––––––––––से द्वितीय पक्षकार (ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तो पर प्रथम पक्षकार का आवेदन(परिवहन दर रू..................अक्षरी रू.––––––––––––––––––– प्रति किलोमीटर / प्रति ट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है। अनुबंधकर्ता को अनुबंधपत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित,नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्ष को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारम्भ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01–अ) यह ठेका अवधि **दिनॉक ––––––––––से दिनांक ––––––––––**तक प्रभावशील रहेगी ।

ब) अनुबंध प्रथम वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक–एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक(कुल 4 वर्ष)बढाया जा सकता है।

02– इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आयगा, उसका तात्पर्य ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य–––––––––––डेयरी या शीत केन्द्र से––––––––––होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

03– प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुंचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी / दुग्ध शीत केन्द्र तक लाने की जबावदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर आवश्कतानुसार दी गयी निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य होगी,मार्ग पर स्थित किसी भी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन / पाली में देनी होगी, इस प्रकरण की जांच करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा। अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से समय–सारिणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांईट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई / बढाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में प्रथम पद्वा को एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन एवं ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जायेगी एवं किया गया कटोत्रा वापिस नहीं किया जावेगा।

04— द्वितीय पक्ष संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चाराबीज, घी टीन/पैकेट,संस्थाओं को लगने वाला मिल्को टेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है। इसका लेखा—जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जावेगी तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन बन्द कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

05— यदि किसी कारण से संकलन बंद रहता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का भाडा देय नहीं होगा।

06— निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेयरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेयरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुॅचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं द्वितीय पक्ष व्यवस्था कर वाहन भेजना पडता है इससे खटट्े/फटे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से में से काटी जा सकेगी।

07— संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि की राशि भी प्रथम पक्ष से काटी जावेगी।

08— प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों(ऐसे कृत्या—कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्व्यं जिम्मेदार न हों, को छोडकर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हों जैसे कारणों को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

09— कमांक 08 में उल्लेंखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या—कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिये दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10— एक्सीडेंन्ट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त कर ली जाती है तथ दूध की नुकसानी होती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जबाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11— वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुये ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12— प्रथम पक्ष अथवा उसक प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

13— संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14— संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लायी जावेगी यदि ऐसा करते हुये किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई तो संघ को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बन्द कर दें तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दें।

15— **(अ)** पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा। समिति प्वांइट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा—407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा । घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जावेगा ।

(ब) पशु आहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बन्द समितियों का सामान वापिस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने व ले जाने में सावधानी रखी जावेगी,यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर प्रथम पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।

(स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(द) पशु आहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुॅचाया जायेगा जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा ।

16— संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होंगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी।समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढाते समय ही प्रदाय की जावेगी , यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता है तो इससे हाने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्त्रदायित्व प्रथम पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।

(अ) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या–कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जबाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

(ब) प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मंडल के सदस्यों /संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे तथा आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से अनुबंधित कर दें।

17— प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लघंन करने या असंतोषतनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुये वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसकेअतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18— अनुबंध समाप्ति के पश्चात राशि वापिस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नही ंके प्रमाणपत्र , जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटोत्रा कर लें। यदि कटोत्रा शेष रहता है तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19— संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि सम्भव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे, उसे स्वीकृत दर से भाडे का भुगतान किया जावेगा, साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढाया या परिवर्तीत किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता ह, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा, साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से सम्बद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20— अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खटटे/फटटे दूध की हानि की राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटोत्रा भी प्रथम पक्ष के देयक से किया जावेगा। अनुबंधित वाहन के पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनों को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनों पर पानी छिडकने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी, ऐसा न करने पर जो हानि होगी उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

21— यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारी दूध में गडबडी , हेराफेरी , केन से दूध निकालने , दूध का विक्रय करते हुये , वाहन से दूध से भरे हुये जार/बोतल या दूध पीते हुये पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमिततायें करते हुये पाये जाते हैं मार्ग पर पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध की कमी आई है तो उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। यह राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22— वाहन में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्व सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जबावदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जबाबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

23— प्रथम पक्ष हडताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा, यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा उसके लियें प्रथम पक्ष जबाबदार रहेगा, साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

24— डेरी परिधि के अन्दर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे,डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे, यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनों में पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुये पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं आता है तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

25— वाहन में सामन उतारने व समितियों पर दूध के केन चढाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनों पर पानी छिडकने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष द्वारा करवाया जावेगा।

26— वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घण्टों में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

27— दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनायें जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है एवं सुदाना, पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।

28— इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथत पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29– परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को ओर सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

30– अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु.————————————सम्बंध——————उम्र ———को पूर्ण होश हवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरान्त श्री/श्रीमती/कु.—————————————को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष देगा।

31– प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

32– संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट रिश्तेदार,पति,पत्नी,पुत्री,सगे भाई बंधू नहीं है , यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले ।

33– प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचयपत्र मय फोटो के बनवायें जावेंगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा , कर्मचारी बदलने पर पुनः उसका परिचयपत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा । वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को त्तकाल सूचित करेगा।

34– प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी,मीठा दूध,श्रीखण्ड,मटठा)आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेंगी।यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोंदित नहीं हैं ओर निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है तो उसका अनुबंधित दरों से भाडा देय होगा ।इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित वाहन को रोका जा सकेगा।

अ– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।

ब– दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदें डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगीं।

स– दिये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

द– समय पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ नहीं पहुंचाने की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दुग्ध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35– स्थानीय मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाणपत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।

36– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लायसेंस प्राप्त करीने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारम्भ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

37— प्रथम पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगा तथा उतनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का रहेगा। मार्ग खराब होते हुये भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है तो उस हानि का उत्त्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

38— दूसरी मंजिल से केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी।पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।

39— वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी—

— **जीप/टेम्पों/या समान क्षमता का वाहन**	**25 केन**
— **पिकअप या समान क्षमता का वाहन**	**40 केन**
— **मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन**	**55 केन**
— **टाटा407 या समान क्षमता का वाहन**	**75 केन**
— **टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./मालदा/ आलवीन या समान क्षमता का वाहन**	**120 केन**

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रू. 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

40— परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 01 से दिनांक 15 तक का देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा,उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 03 तक संघ/संयत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की सम्भवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

41— संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रतिपाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुंचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में संघ पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रू.5.00 एवं दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटोत्रा की जावेगी।

42— यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग पर किसी भी एक या अनेक समितियों में निरन्तर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय को प्राप्त होती है तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 03 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर कि दूध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है , समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

43— मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बतायें अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा आपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लघंन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अधिकार होगा कि वें बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी उसकी समस्त जबाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

44— संघ द्वारा निर्धारित समय—सारिणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात एक घण्टे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डॉक/शीत केन्द्र तक वहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

45— स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेंगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी, दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी—

क्र	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
1	टेम्पों	30 कि.मी.
2	मेटाडोर/जीप	15 कि.मी.
3	टाटा एसीई/मीनीडोर/वेन	22 कि.मी.
4	टाटा407 या समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
5	टाटा 608,609,709,आयशर,माजदा	08 कि.मी.
6	ट्रेक्टर	07 कि.मी.
7	टाटा 807/मिनी ट्रक	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत कि.मी.पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्‌ानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर टयूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46— अनुबंधित वाहन पर ड्राइवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगें तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथमपक्ष का स्वंय का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा—जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा ।

47— विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटोत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2—3 बार ही दी जा सकेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया गया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

48— संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बन्द किया जा सकेगा।

49— डेयरी संयत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी।

50– संघ द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें। यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा , साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटोत्रा किया जावेगा।

51– प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या(पेन नम्बर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

52– प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा, इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रू. 5000/– संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

53– प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवें एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो ।

54– विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

मै/श्री————————————प्रथम पक्ष ने उक्त अनुबंध शर्तो का अवलोकन भलीभॉति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्ते मान्य है । निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूॅ –

साक्षी

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष

1 ——————————	2——————————	3——————————
——————————	——————————	——————————
——————————	——————————	——————————

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार
(सील सहित)